REVIEW OF RESEARCH
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF) UGC APPROVED JOURNAL NO. 48514 ISSN: 2249-894X
VOLUME - 7 | ISSUE - 7 | APRIL - 2018

नागरिक
कर्तव्य, अनुशासन, प्रशासन

Dr. Surendra Ramlal Tiwari
Professor, Jyotiba College of Physical Education CRPF. Hingna Road , Nagpur.

सारांशः

"नागरिक उस व्यक्ति को कहते हैं जो राज्य के प्रति भक्ति रखता हो तथा उसे राजनीति व सामाजिक अधिकार प्राप्त हो और जो लोक सेवा की भावना से प्रेरित होता है।"

आदर्श नागरिक के गुण (Elements of Good citizen) : आदर्श नागरिक के निम्न गुण होने चाहिये। ◆ बुद्धि, ◆ आत्म संयम, ◆ जागरूकता,◆ उत्तम स्वास्थ्य, ◆ सुशिक्षा, ◆ कर्तव्यपरायणता, ◆ मताधिकार का उचित प्रयोग, ◆ निस्वार्थ होना, ◆ मितव्ययिता, ◆ परिश्रमी तथा परोपकारी, ◆ दलबंदी से दूर, ◆ कानूनों का पालन, ◆ देशभक्ति।

मूळ शब्द : आदर्श नागरिक, नागरिक के अधिकार, अनुशासन, मानव व्यवस्था.

प्रस्तावनाः
नागरिकता (Citizenship):

'नागरिकता नागरिकों के जीवन की वह दशा है जिसमें व्यक्ति को किसी राज्य का सदस्य होने के नाते सामाजिक एवं राजनीतिक दोनों प्रकार के अधिकारों के उपभोग का अवसर प्राप्त होता है।" निम्नलिखित व्यक्ति भारतीय नागरिकों की श्रेणी में आते हैं – 1) प्रथम श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं, जो भारत की भूमि पर पैदा हुये हैं, 2) द्वितीय श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जिनके माता या पिता में से कोई एक भारत की भूमि पर पैदा हुआ हो, 3) तृतीय श्रेणी में वे व्यक्ति आते हैं जो भारतीय संविधान के प्रभावी होने के पूर्व कम से कम पांच वर्ष से भारत की भूमि पर निवास कर रहे हों।

नागरिकता की समाप्ति – निम्नलिखित दशाओं में भारतीय नागरिकता की समाप्ति हो सकती है।

- यदि कोई भारतीय दूसरे देश की नागरिकता ग्रहण कर ले।
- यदि कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी नागरिक से विवाह कर ले।
- यदि किसी ने धोखा देकर यहां की नागरिकता प्राप्त कर ली हो, या देशद्रोही हो या युद्ध के समय शत्रु के देश की सहायता की हो।

नागरिक के मौलिक कर्तव्य (Fundamental Duties of a Citizen):

- संविधान, इसके आदर्शो, राष्ट्रध्वज, राष्ट्रीय गीत एंव राष्ट्रीय गान का सम्मान करना।
- राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को संजोये रखना तथा उन्हें अपने जीवन में अपनाना।
- भारत की सम्प्रभुता, एकता और अखण्डता को बनाये रखना तथा रक्षा करना।
- देश की रक्षा करना तथा आवाहन करने पर राष्ट्रीय सेवा के लिये तत्पर रहना।

- भारत के सभी लोगों के बीच धार्मिक, भाषायी, क्षेत्र या वर्ग के भेदभावों से ऊपर उठकर, सद्भाव व आपसी भाईचारे की भावना को बढ़ावा देना तथा ऐसी कुप्रथाओं का त्याग करना जो स्त्रियों के सम्मान के विरूद्ध हो।
- देश के साझी संस्कृति का सम्मान और उसका संरक्षण।
- प्राकृतिक पर्यावरण की, जिनके अंतर्गत, वन, झील नदी तथा वन्यजीवन हैं, रक्षा करना तथा उसका संवर्धन करना तथा प्राणीमात्र के प्रति दया का भाव रखना।
- वैज्ञानिक मनोवृत्ति, मानववाद और सुधार की प्रवृत्ति विकसित करना।
- सार्वजनिक सम्पति की सुरक्षा करना तथा हिंसा से दूर रहना।
- सभी व्यक्तिगत तथा सामूहिक कार्यक्षेत्रों में उत्कृष्टता लाने के निरंतर प्रयास।
- माता–पिता या संरक्षक द्वारा 6–14 वर्ष के बच्चों हेतु प्राथमिक शिक्षा प्रदान करना।

नागरिक के अधिकार (Rights of Citizen) :

"अधिकार वह मांग है जिसे समाज स्वीकार करता है और राज्य लागू करता है।" भारतीय नागरिकों को निम्न मौलिक अधिकार प्राप्त हैं –

1. समानता का अधिकार (अनु. 14–18),
2. स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 19–22)
3. शोषण के विरूद्ध अधिकार (अनु. 23–24)
4. धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार (अनु. 25–28)
5. संस्कृति और शिक्षा सम्बंधित अधिकार (अनु. 29–30)
6. संवैधानिक उपचारों का अधिकार (अनु. 32)

नोट : 44 वे संवैधानिक संशोधन 1978 द्वारा सम्पत्ति के मौलिक अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया। अब यह केवल कानूनी अधिकार है।

अनुशासन (Discipline):

"अनुशासन का अर्थ व्यक्तियों के समूह में उचित व्यवस्था रखना है। इसका शाब्दिक अर्थ है अनुः शासन अर्थात् अनु का अर्थ है अनुकरण करना तथा शासन से तात्पर्य प्रबंध एवं प्रशासन से है। अतः अनुशासन से तात्पर्य सैनिक संगठन एवं प्रशासन सम्बंधी भावनाओं, नियमों एवं कानूनों के मानते व अनुकरण करने से हैं। दूसरे शब्दों में क्रमवार प्रशिक्षण, व्यायाम, मानसिक विकास एवं नियन्त्रण, नैतिक एवं शारीरिक कृतियों के नियंत्रित विकास को ही अनुशासन कहते है। इसमें शिक्षण व नियंत्रण की पद्धति अधिकारियों की आज्ञा पालन, आत्म संयम एवं सद्व्यवहार भी शामिल होता है।

अनुशासन का अर्थ है प्रत्येक सैनिक को जो कार्य सौंपा जाये वह उसे भक्ति के साथ, निश्चित योजना, निश्चित ढंग व स्वयं के निश्चित उत्तरदायित्व के साथ पूरा कर दे। अनुशासन एक ऐसी इकाई है जिस पर सेवा का कुशल संचालन आधारित है, अन्यथा अनुशासनहीन सेना एक जानवरों का झुण्ड मात्र रह जायेगी। अनुशासन दो प्रकार का होता है। ✡ व्यक्तिगत अनुशासन, ✡ सामूहिक अनुशासन।

मनोबल (Morale):

मनोबल एक नैतिक गुण है जो किसी सैनिक की मानसिक शक्ति से उत्पन्न होता है तथा उसकी आंतरिक विशेषताओं को जागृत करके उत्पन्न किया जा सकता है। मनोबल का अर्थ है विभिन्न प्रकार की रूकावटों के होते हुये भी एक दृढ़ संकल्प तथा उत्साह के साथ लक्ष्य को प्राप्त करने की अन्तिम इच्छा होना। अर्थात् मनोबल किसी लक्ष्य पर विशेषतया लम्बे सख्त लक्ष्य पर पूर्ण निश्चय एवं जोश के साथ ठहरने की क्षमता है। यह उदासीनता की भावना के विपरीत है।

सेना के अन्दर मनोबल का विकास होने से सामूहिक एवं कूटयोजनात्मक संतुलन स्थापित हो जाता है। विजय का आधार वास्तव में शारीरिक गुण न होकर चारित्रिक गुण है। उत्साह के अभाव में न तो कमाण्डर ही

योजना श्रेष्ठ बना सकेगा और न सैनिक ही योजना को क्रियान्वित कर सकते हैं। सभी बौद्धिक कार्यवाहियों में चाहे वह आक्रमण की अवस्था हो या प्रति रक्षा की, मनोबल विशेष महत्व का स्थान रखता है।

मानव व्यवस्था (Man Management):

मानव व्यवस्था से तात्पर्य है सैनिकों की इस प्रकार की व्यवस्था, जिससे उनका मानसिक एवं शारीरिक विकास हो और समस्त संगठन युद्ध भूमि में उससे पहले और युद्ध के बाद में पूर्ण कार्य कुशलता एवं गतिशीलता से कार्यवाही कर सकें।

मानव व्यवस्था कमाण्डर की वह योग्यता है जिसके अनुसार वह अपने सैनिक को शारीरिक एवं मनोवैज्ञानिक दृष्टि से पूर्ण बना देता है। इस प्रकार सैनिक आवश्यकताओं का प्रबंध करता है। जिससे उनका स्वास्थ्य विकसित हो तथा कठिन कार्य करने की क्षमता उत्पन्न हो। उसके अन्दर इस प्रकार के मनोवैज्ञानिक गुणों का विकास करना जिसमें वह युद्ध के भय से विजय पा सकें तथा पूर्ण गतिशीलता एवं विजय के दृढ़ निश्चय के साथ युद्ध में शामिल हो सकें।

अच्छी मानव व्यवस्था बनाये रखने के लिये कमाण्डर को निम्न बातें करनी चाहिये –

- अच्छे कार्य की सराहना करें।
- अधीनस्थ सैनिक की भावना समझें।
- दूसरों की समस्याओं में वास्तविक रूचि लें।
- बहसबाजी से बचें।
- समस्या को दूर करके दूसरे मनुष्य जवानों को आराम करने दें।
- पदोन्नति योग्यता से करें।
- अपने व्यवहार से अच्छा वातावरण बनायें।
- अपने अधीनस्थ को हमेशा नाम से पुकारें।
- अपने अधीनस्थ को सबके सामने न डांटे।
- अधीनस्थ के साथ निष्पक्ष दोस्ताना व्यवहार करें। लेकिन उनमें अधिक घुले मिले नहीं।

नेतृत्व (Leadership):

नेतृत्व कमांडर की वह क्षमता होती है जिसके द्वारा वह किसी सैनिक टुकड़ी का एक उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु हर प्रकार की परिस्थितियों में नेतृत्व करता है।

नेतृत्व के प्रकार – नेतृत्व के प्रमुख प्रकार निम्न है –

◆ तानाशाही नेतृत्व ◆ प्रजातंत्रीय नेतृत्व, ◆ अहस्तक्षेप नेतृत्व।

प्रभारी नेतृत्व के सिद्धांत –

प्रभावी नेतृत्व के लिये निम्न सिद्धांत

- अपने कार्य को अच्छी तरह जानना तथा सक्षम होना।
- अपनी क्षमताओं का ज्ञान और उनमें सुधार।
- अपने अधीनस्थ व्यक्तियों को जानना और उनके कल्याण की भावना।
- आदर्श प्रस्तुत करना।
- अधीनिस्थों को पूरी सूचना देना, कार्य समझना, निवारण तथा कार्य की पूर्ति।
- अधीनिस्थों में टीम भावना का विकास।
- सही और सामाजिक निर्माण।
- अधीनीस्थों में उत्तर दायित्व का विकास।
- अधीनिस्थों को उनकी क्षमता के अनुसार कार्य।

- अधीनिस्थों के कार्य के प्रति स्वयं में उत्तरदायित्व की भावना।

नेता के गुण या लक्षणः

- **छवि/आचरण (Bearing):** नेता को अपनी छवि निखारने के लिये हर समय उच्च स्तर का व्यक्तिगत व्यवहार करना चाहिये और स्वयं के रख रखाव (ड्रेस आदि) और व्यवहार में सक्षमता और विश्वास झलकना चाहिये। नेता का आचरण उच्च श्रेणी का होना चाहिये। अपने अधीनिस्थों से छोटे, साधारण, स्पष्ट वाक्यों में बात करें। अभद्र व व्यंगात्मक भाषा का प्रयोग न करें तथा पूरे ग्रूप की निंदा या आलोचना न करें।
- **साहस (Courage):** नेता की डरावनी स्थिति में शांति और दृढ़ता से सही तरह से कार्य करना चाहिये। ऐसी स्थिति में नैतिक बल और साहस की आवश्यकता होती हैं।
- **निर्णयकता (Decisiveness):** नेता को तुरंत निर्णय लेने की क्षमता होनी चाहियें बुद्धिमान नेता सभी तथ्य इकट्ठे करता है, एक दूसरे के विरूद्ध तुलना करता है, फिर शांति से तुरंत सही निर्णय पर पहुंचता है। इसमें काम करने का अभ्यास व अनुभव होना आवश्यक है।
- **विश्वसनीयता (Dependability):** नेता को अपनी ड्यूटी सही ढंग से पूरा करना तथा उच्च अधिकारी के आदेशों को चुश्ती, बुद्धिमता पूर्वक और खुशी से पालन करने में विश्वास होना चाहिये।
- **सहनशीलता (Endurance):** दुख, कठोर कार्य, दबाव और विपत्ति के समय सहनशीलता का परिचियन देना चाहिये।
- **उत्साह (Enthusiasm):** स्वाभाविक रूचि दिखाना, ड्यूटी करने में उत्साह, आनंद पूर्वक आशावादी, दृष्टीकोण से काम करना, अच्छे कार्य को दृढ़ संकल्प करना।
- **नेतृत्व करना (Initiative):** आदेश न मिलने की स्थिति में क्या किया जाना है इसके विषय में जानकारी होनी चाहिये। असंतोष जनक स्थिति की निष्क्रियता से अर्कमण्यता से बचें तथा स्वयं नेतृत्व की पहल करें।
- **सत्य वादिता (Truthfulness):** चरित्र का सीधापन, नैतिक सिद्धांतों की अगाधता, पूर्ण सत्यवादिता के गुण, ईमानदारी तथा व्यक्तिगत सत्यनिष्ठा।
- **सत्यनिष्ठा (Loyalty):** देश के प्रति, अपने वरिष्ठ व अधीनिस्थों के प्रति वफादार होना।
- **निर्णय लेना (Judgement):** नेता की सभी पहलुओं का ध्यान रखते हुए सही निर्णय पर पहुंचना चाहिये।
- **न्याय (Justice):** निष्पक्ष होने का गुण, कमांड देने में दृढ़ता, गुणवत्ता के अनुसार दण्ड देना। तनाव की स्थिति में क्रोध व अन्य भावुकता व पूर्वाग्रह से नेता को बचना चाहिये।
- **व्यवहार कुशलता (Tactful):** नेता को नियमों का उल्लंघन किये बगैर सभी से मेल जोल रखना चाहिये। समालोचना रचनात्मक होनी चाहिये तथा अन्य लोगों की भावनाओं का आदर करना चाहिये।
- **अस्वार्थता (Unselfishness):** नेता स्वार्थी नहीं होना चाहिये। अपने व्यक्तिगत हित से बचें। अधीनिस्थों के उत्कृष्ठ कार्य के श्रेय को उन्हें बताना चाहिये। अपने अधीनिस्थों के खतरे में, विपत्ति में साथ देना चाहिये।

नेता व मालिक में अन्तरः

- नेता अपने अधीनस्थों को हम से सम्बोधित करता हे, जब कि मालिक मैं कहकर सम्बोधित करता है।
- नेता किसी का उद्देश्य या औचित्य बताकर अपने लोगों से कार्य लेता है जबकि मालिक औचित्य को नहीं बताता है।
- कार्य के बिगड़ जाने पर उसकी जिम्मेदारी नेता लेता है जबकि मालिक अपने अधीनस्थों को जिम्मेदार मानता है।
- नेता राष्ट्रहित का ध्यान रखकर कार्य करवाता है जबकि मालिक अपने हित के लिए कार्य करवाता है।

- नेता अपने अधीनस्थों को संगठित रखने का प्रयास करता है जबकि मालिक अपने अधीनस्थों में फूट डालने का कार्य करता है।

कर्तव्य तथा अनुशासन (Duty and Discipline):

ईश्वर के उन आदेशों का, जो हमारे विवेक से प्रकट होते है, पालन करना, यही कर्तव्य है। मनुष्य के उन आदेशों का जो सही अधिकार सत्ता से प्रगट होते है पालन करना यही अनुशासन है। दोनों की नीव एक ही है, और वह है उच्चतर हित के लिये स्वार्थ की तिलांजलि। जब तक पहले कर्तव्य का पाठ भली भांति सीख न लिया जाये, तब तक अनुशासन का पाठ समझना अधूरा ही रहेगा।

प्रशासन (Administration):

किसी भी संगठन में प्रशासन का एक बहुत बड़ा महत्व होता है। प्रशासनिक तत्व किसी सैन्य संगठन का वह अंग अथवा अवयव है जो संगठन को कुशल रूप से बनाये रखता है अर्थात ध्येय प्राप्त के लिये जिस वस्तु या अवयव की आवश्यकता होती है जिस वस्तु अथवा अंग का क्षय होता हे, उसकी पूर्ति करता है। ब्रिगेडियर राजेन्द्र सिंह के शब्दों में "प्रशासन वह विधि है जो किसी संगठन के विभिन्न अंगों को क्रियाशील बनाये रखती है जैसे किसी मशीन के पुर्जे पर यदि समय से तेल लगाया जाता रहे, तो वे पूरी कुशलता के साथ अपना कार्य करती रहेंगी।"

प्रशासन के सिद्धांत (Principles of Administration) :

- **दूरदर्शिता (Foresightedness) :** किसी भी वस्तु की व्यवस्था करने में बहुत समय लग जाता है, अतः यह आवश्यक है कि जितना शीघ्र हो सके सभारिकी (Logistician) योजना बनाना प्रारंभ कर देना चाहिए।
- **मितव्ययिता (Economy) :** युद्ध में प्रत्येक व्यक्ति एवं साज–सामान का पूरा–पूरा प्रयोग किया जाना चाहिये। मितव्ययिता से अपव्यय नहीं हो पाता। कमाण्डर का, विशेषकर अफसरों तथा अन्य कुशल व्यक्तित्यों का किसी प्रकार का अपव्यय नहीं होने देना चाहिये। सामग्री की उचित देखभाल तथा खराब न होने देना मितव्ययिता में सहायक होता है।
- **लचक (Flexibility) :** साज–सामान व वाहनों के भेद प्रभेदों को यथासंभव कम कर देने में अधिक परिवर्तनशील संभव हो जाती है।
- **सरलता (Simplicity) :** योजनायें सरल हो जहां तक संभव हो सामान्य क्रम को ही अपनाना चाहिए।
- **सहयोग (Co-operation) :** यह बात तो स्पष्ट ही है कि विभिन्न सेनाओं के बीच प्रभावपूर्ण सहयोग न होने पर प्रशासन का कार्य सुचारू रूप से चलना संभव नहीं हो सकता। प्रशासन के विभिन्न भागों में सहयोग अति आवश्यक है।

सेनाओं की प्रथायें (Customs of the Services) :

सेनाओं में प्रथायें और परम्परायें अलिखित कानून है इसलिये सेना के हर सदस्य को इसकी व्यापक रूप से जानकारी रखनी चाहिए। प्रथाओं तथा परम्पराओं का पालन, एकता कायम रखने के लिये भारी शक्ति है। प्रथाओं तथा परम्पराओं का कोर भावना तथा सेना में वर्ग की भावना का विकास करने में बहुत बड़ा योगदान है।

सेनाओं की अपनी कुछ प्रथायें है जिनमें से कुछ उन्हें विरासत में पुराने समय में मिलती आयी है जबकि कुछ अभी हाल में बनी है। प्रथा एक स्थापित व्यवहार है और इसमें बहुत सी औपचारिक क्रियायें शामिल है, जो युक्ति संगत सार्वभौमिक रूप से मान्य है। अधिक अनुसासित होने के लिये प्रथायें बनायी जाती हैं। जब ये बहुत दिनों तक प्रचलित रहती है तो वह अलिखित कानून का रूप धारण कर लेती है। कैडिट्स के लिये सशस्त्र सेना की प्रथायें व परम्परायें अजीब सी हो सकती है लेकिन एक बार उनका उद्देश्य समझ में आ जाये तो यह

सेवा करने में गर्व की भावना पैदा करने और कोर भावना पैदा करने में बहुत ही मूल्यवान साबित होती है। नीचे कुछ प्रथाओं के बारे में दिया जा रहा है।

सैल्यूट देना – सेना में यह प्रथा प्रचलित है कि एक जूनियर अपने सीनियर को सेल्यूट करता है। यह खुली हथेली को अपनी टोपी के पास लाकर किया जाता है। यह प्रथा पुरातन काले से चली आ रही है। परंतु कहा जाता है कि यह प्रथा उस समय प्रारंभ हुई जब एक व्यक्ति किसी के प्रति अपनी शुभ इच्छायें प्रकट करने के लिये अपनी हथेली खोलकर दिखा दें कि उसके हाथ में कोई घातक हथियार नहीं है। अर्थात् निशस्त्र होकर वह दूसरे व्यक्ति के प्रति अपनी दोस्ती प्रदर्शित करता है। इन्हीं प्रथाओं का परिणाम आज का सैल्यूट है।

थल सेना व वायु सेना में टोपी सहित हाथ का सैल्यूट खुले हाथ को सिर के बगल में लाना है। नौ सेना में हाथ को टोपी तक खुली हथेली के नीचे की ओर करके दिखाया जाता है। इसका कारण यह बताया जाता है कि ऐसा डेंक पर कार्य करने वाले नाविक को गंदा हाथ न दिखाने के लिये किया जाता है।

रायफल के साथ सलामी शस्त्र अपने आपको निःशस्त्र करने का प्रतीक हैं रायफल को ऐसी स्थिति में रखा जाता है कि जैसे कि सैल्यूट विश्वास व मित्रता को प्रदर्शित करता हो।

टैंक को झुकाना या पोत पर चिन्ह दर्शाना तथा विमान को सैल्यूट बेस पर झुकाना यह सब सैल्युट दिये जाने वाले व्यक्ति के प्रति विश्वास, मित्रता व आदर का प्रतीक है।

राष्ट्रीय ध्वज को सैल्यूट – ऐसी प्रथा है कि राष्ट्रीय ध्वज या रेजीमेन्टल ध्वज को सुबह फहराते समय व सांय उतारते समय सैल्यूट दिया जाता है। अफसर सावधान की मुद्रा में ध्वज की ओर मुखातिब होकर सैल्यूट करेगा अन्य रेंग सावधान की मुद्रा में खड़े होंगे। यदि उपरोक्त समय बिगुल वादन हो रहा है तो सभी लोग जिन्हें बिगुल सुनाई दे रहा है। (छत के नीची खड़े लोगों को छोड़कर) उपरोक्त कार्यवाही करेंगे।

राष्ट्रगान – यदि राष्ट्रमान परेड के दौरान हो रहा है तो वर्दीधारी अफसर सावधान की मुद्रा में सैल्यूट करेंगे तथा अन्तिम ध्वनि पर हाथ गिरायेंगे। बगैर वर्दीधारी अफसर सावधान में खड़े होंगे यदि वे हेट (Hat) लगाये है तो उतार लेंगे। अन्य श्रेणी के लोग सावधान में खड़े होंगे।

अलंकरण और मेडल – व्यक्तिगत वीरता के उत्कृष्ठ कार्य करके और युद्ध क्षेत्र में या राष्ट्रीय आपदाओं में विशिष्ट सेवा करके अर्जित अलंकरण और मेडल को सैनिकों को लगाने की अनुमति दी जाती है। यह अत्यधिक प्रयास करने के लिये शक्तिशाली प्रोत्साहन है जो सैनिकों के मनोबल को बढ़ाये रखने में सहायक है।

रण सम्मान – यूनिटों/रेजीमेन्टों के सामूहिक प्रयास द्वारा किये गये वीरता के कार्य के लिये रण सम्मान दिए जाते है। इन सम्मानों के विजेताओं को इन्हें प्राप्त करके उनमें गर्व की भावना आती है।

ध्वज (कलर) – पहले लड़ाई के मैदान में ध्वज ले जाने की परम्परा थी। ध्वज से सैनिकों को आत्म बलिदान व वीरता के कार्यों की प्रेरणा मिलती रही है। अब आक्रमण के रूप में परिवर्तन होने के कारण ध्वजों की लड़ाई के मैदानों में नही ले जाया जा रहा है। आजकल ध्वज सम्मानजनक स्थान (क्वार्टर गारद) आदि स्थानों पर लगाया जाता है।

राष्ट्रपति रेजीमेंट को उनकी सम्मानीय सेवा के लिये ध्वज प्रदान करते हैं और रेजीमेण्ट के रण सम्मान ध्वज पर अलंकृत किये जाते हैं। रायफल रेजीमेन्टों को छोड़कर सभी इन्फेन्टरी रेजीमेंट ध्वज साथ ले जाती है। आर्मड कोर रेजीमेट लांसर को छोड़कर बाकी अपने साथ विशेष प्रतिमान और त्रिकोण पताका युद्ध स्थल में ले जाती है।

वेशभूषा – कैमाफ्लेज की आवश्यकता को पूरा करने, उपयोगिता, स्वास्थ्य तथा बचत आदि को ध्यान में रखते हूए सैनिकों को वेशभूषा में परिवर्तन किये जाते हैं। वेश–भूषा सैनिकों में मनोबल, कोर भावना, चुश्ती आदि बढ़ाने में सहायक है। अपनी वेश–भूषा पर सैनिकों को गर्व होना चाहिये तथा अपने आप को सुंदर टर्न आउट में रखना चाहिये।

धूम्रपान – अफसरों, सैनिकों का निम्न अवसरों पर धूम्रपान करना अशोभनीय हैं –

✡ सैल्यूट के समय, ✡ टूपों के साथ मार्च करते हुये (हाल्ट के समय कमांडर की अनुमति से कर सकते हैं) ✡ परेड के समय या परेड कर रहे हों, ✡ अपने पद पर खेलों के दौरान, बाधा, पाठ्यक्रम और इसी प्रकार के समारोह में कार्मिक रूप में कार्यरत हो।

महिलाओं का अभिवादन – सशस्त्र सेनाओं में प्रथा है कि अफसर महिलाओं से मिलने पर उनका यथोचित सम्मान करते है। यदि एक जनरल अपने जूनियर अफसर की पत्नी से मिलता है और उसे पहचान लेता है तो वह उस महिला का सम्मान करेगा। वर्दी में सैल्यूट देकर उनका सम्मान किया जायेगा और सिविल वर्दी में सामान्य तरीके से अभिवादन किया जायेगा।

शारीरिक प्रशिक्षण का तात्पर्य है कि व्यायाम और ड्रिल के मूल्यों का सम्बन्ध स्वास्थ्य को ज्यादा से ज्यादा आकर्षित करने से है। जैसे युद्धाभ्यास के दौरान व्यक्ति को इस प्रकार आकर्षित किया जाता है कि वह लक्ष्य में आने वाली रूकावटों को उखाड फेंकें, मांशपेशियों को मजबूती प्रदान करे, अपनी सहनशीलता को लड़ाई के उद्देश के प्रति अधिक से अधिक विकसित करे। शारीरिक प्रशिक्षण अपने में शक्ति, चपलता, सहनशीलता और अनुशासन को समाये हुए रखे। इन तत्वों का शारीरिक प्रशिक्षण में विशेष योगदान होते हुए जवानों को यह जानना नितान्त आवश्यक है कि इन तत्वों का हम कहॉ पर सद उपयोग करे, जिससे कि उत्कृष्ट परिणाम प्राप्त किये जा सके।

संदर्भ ग्रंथ :

1. सचदेवा, एम.एस. **स्कूल प्रबन्ध एवं प्रशासन** (लुधियाना– जालंधर प्रकाश ब्रदर्स, 1988).
2. कंवर, डॉ. आर.सी. **"निर्णयन एवं अधिशिक्षा"** (नागपुर अमित ब्रदर्स पब्लिकेशन 1998).
3. रिजर्ड एस. रिबनेस, **"फाउन्डेशन ऑफ फिजिकल एज्युकेशन"** (लंदन : मिजालीन कम्पनी, 1976).
4. सुभाष के. डोंगरे, "कॅम्पेरिजन ऑफ सिलेक्टेड फिजिकल ॲण्ड फिजिओलॉजीकल वैरीएबल्स ऑफ मलखम्ब एण्ड रैसलिंग इन्टर कॉलेजेट प्लेयर्स" (**अप्रकाशित लघु शोध प्रबन्ध, अमरावती विद्यापीठ में स्नातकोत्तर उपाधी हेतु प्रस्तुत** 1988).
5. दिपक एम. मालखेडे, "कम्परेटिव स्टडी ऑफ द फिजीकल फिटनेस ऑफ रैसलर एण्ड मलाखंम प्लेयर्स" (**अनपब्लिशड मास्टर्स डेजरटेशन, अमरावती यूनिव्हसिर्टी,** 1990).

Dr. Surendra Ramlal Tiwari
Professor, Jyotiba College of Physical Education CRPF. Hingna Road , Nagpur.